उत्तर प्रदेश शासन
वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग,
संख्या-4/2024/आर0जी0-659/दस-2024-01(आयोग)/2022
लखनऊ::दिनांक 07 अगस्त, 2024

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के उपबन्ध (3) के अन्तर्गत व्यवस्था का अनुसरण करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित अधिसूचना संख्या-आर0जी0-659/दस-2024-01(आयोग)/2022-दिनांक 07 अगस्त,2024 को प्रकाशित किये जाने का सहर्ष आदेश देते है:-

अधिसूचना-
संख्या आर0जी0-659/दस-2024-01(आयोग)/2022
लखनऊ:दिनांक 07 अगस्त, 2024

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243 (आई) तथा अनुच्छेद-243 (वाई) में राज्य वित्त आयोग के गठन के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा-32 क के अनुसरण में श्री राज्यपाल द्वारा छठे राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश का सहर्ष गठन करते हुए श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, वित्त को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

2- छठे राज्य वित्त आयोग के निदेश पद निम्नवत् हैं:-

(i) राज्य वित्त आयोग, पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा तथा श्री राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां देगाः-

(अ) सिद्धान्त, जो संनियमित करेंगे:-

(1) राज्य और पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम, जो संविधान के भाग-9 व 9ए के अधीन, उनमें विभाजित किये जाने हैं, या विभाजित किये जाय, के वितरण के बारे में और उक्त सभी स्तरों की पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी अंश के आवंटन के बारे में;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों, जिन्हें ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों और त्रिस्तरीय नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशित किया जाना है अथवा जिन्हें उनके द्वारा हस्तगत किया जाना है, के अवधारण के बारे में;

(3) राज्य की संचित निधि में से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में,

(ब) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये आवश्यक उपायों के बारे में,

(स) कोई अन्य विषय, जिन्हें श्री राज्यपाल द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ करने के उददेश्य से वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(ii) राज्य वित्त आयोग अपनी संस्तुतियां देते समय अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों को भी संज्ञान में रखेगाः-

(अ) राज्य सरकार के संसाधन एवं व्यय की मॉग विशेष रूप से बचनबद्ध दायित्वों एवं पूंजीगत परिव्यय में बढ़ोत्तरी के लक्ष्य के संदर्भ में वित्तीय स्थिति का आंकलन एवं स्थानीय निकायों के अंश का निर्धारण,

(ब) निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त संसाधनों का विश्लेषण,

(स) त्रिस्तरीय ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आंकलन एवं निकायों के स्वयं के संसाधनों में वृद्धि हेतु सुझाव।

(ड) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा छावनी परिषदों, को अनुदान की संस्तुति के संदर्भ में राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अंतरण के अंश का निर्धारण,

(ई) निकायों की बाजार ऋण लेने की क्षमता एवं सुझाव,

(iii) (अ) ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने पर ग्रामीण निकायों का शहरी निकायों में विलय होने एवं शहरी निकायों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी निकायों के पारस्परिक अंश का निर्धारण।

(ब) आयोग की पंचाट अवधि के मध्य किसी भी स्तर के स्थानीय निकाय (नगरीय एवं ग्रामीण) के क्षेत्रफल/ जनसंख्या में परिवर्तन होने अथवा निकायों की संख्या परिवर्तित होने/उच्चीकरण की दशा में आयोग द्वारा संस्तुत किये गये संक्रमण के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों की संस्तुति करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उत्तर प्रदेश (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), (नियुक्ति एवं सेवा की शर्ते) वित्त आयोग (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 के अनुसार अपने कृत्यों के सम्पादन के लिये राज्य वित्त आयोग में निम्नलिखित शक्तियॉ निहित होगी,

(1) आयोग को सिविल प्रक्रिया संहित, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों को निपटाने के लिये सिविल न्यायालय की शक्तियॉ प्राप्त होगी:-

(क) साक्षी को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(ख) किसी दस्तावेज का प्रस्तुति करना।

(ग) न्यायालय या किसी कार्यालय से पुनः प्राप्ति करने वाला कोई सार्वजनिक दस्तावेज।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से उसके अधीन विचारार्थ किसी मामले से सम्बन्धित कोई आवश्यक और उपयोगी सूचना प्रस्तुत करने के लए निदेश देने की शक्ति होगी और इस प्रकार निर्देशित व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा-211 के अधीन आज्ञानुसार विधिक रूप से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने का दायी समझा जायेगा, किसी तरह सूचना उस समय पर लागू किसी नियम द्वारा आच्छादित होगी।

4- राज्य वित्त आयोग निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट/संस्तुति देगा।

5- पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के दृष्टिगत आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

आज्ञा से तथा राज्यपाल उ0प्र0 के नाम से

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव,

(1) आदेशित किया गया कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय।

(2) आदेशित किया गया कि इस अधिसूचना की प्रति कृषि उत्पादन आयुक्त को भेजी जाय।

(3) आदेशित किया गया कि इस अधिसूचना की प्रति उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को तथा समस्त अनुभागों को भेजी जाय।

(4) आदेशित किया गया कि इस अधिसूचना की प्रति सभी विभागाध्यक्षों तथा कार्यालयाध्यक्षों को भेजी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) आदेशित किया गया कि इस अधिसूचना की प्रति निदेशक, पंचायती राज निदेशक, स्थानीय निकाय तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास को और सभी मण्डलीय आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों को इस निदेश के साथ भेजी जाय कि वे कृपया अपने अधीनस्थ संबंधित समस्त इकाईयों को इसकी प्रति भेजकर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करें।

(6) आदेशित किया गया कि इस अधिसूचना की प्रति सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों और सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को भी जाय।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।